

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 295] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/ VAISAKHA 7, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय (पीएचआरडी डिवीजन) अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 453(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) खंड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रत्यायोजन में केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्न तालिका के क्रम सं. 1—9 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को 01.04.2016 से 31.03.2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :-

1	मुख्य अधिकारी, समुद्री वाणिज्यिक विभाग कंडला	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि
2	कमीशनर, सीमा शुल्क, कांडला	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड	गुजरात राज्य सरकार के प्रतिनिधि
4	श्री रजत सच्चर सलाहकार (आर्थिक), पोत परिवहन मंत्रालय	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि
5	प्रभारी नौसेना अधिकारी, गुजरात	रक्षा सेवाओं (नौसेना) के प्रतिनिधि
6	सेना प्रमुख, तटरक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तर-पश्चिम), गांधी नगर	तटरक्षक के प्रतिनिधि
7	मुख्य भाड़ा परिवहन प्रबंधक, पश्चिम रेलवे	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि
8	श्री एम. एल. बिलानी, महासचिव, परिवहन एवं डॉक वर्कर्स यूनियन	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि
9	श्री मोहन के असवानी, प्रधान, कांडला पत्तन कर्मचारी संघ	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि

[फा. सं. एलबी–11013 / 11 / 2015–एल]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

2023 GI/2016 (1)

MINISTRY OF SHIPPING (PHRD Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

G.S.R. 453(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against number 1-9 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2016 to 31.03.2018:-

1.	Principal officer, Mercantile Marine Department, Kandla	Representing Mercantile Marine Department
2.	Commissioner of Customs, Kandla	Representing Department of Customs
3.	Chief Executive Officer & Vice-Chairman, Gujarat Maritime Board	Representing the State Government of Gujarat
4.	Shri Rajat Sachar, Advisor (Eco), Ministry of Shipping	Representing Ministry of Shipping
5.	Naval Officer- in- Charge, Gujarat	Representing Defence Services (Navy)
6.	Chief of Staff, Regional Headquarters (N-W), Gandhinagar	Representing Coast Guard
7.	Chief Freight Transportation Manager, WR	Representing Indian Railways
8.	Shri M.L. Bellani, General Secretary representing Transport & Dock Workers' Union	Representing the labour employed at the Port
9.	Shri Mohan K. Aswani, President representing Kandla Port Karmchari Sangh	Representing the labour employed at the Port

[F. No. LB-11013/11/2015-L] BARUN MITRA, Jt. Secy.